DSS 978-1-921380-85-3

# एक्सपेट्रिएट एडोप्शन (प्रवासी दत्तक ग्रहण) तथ्य पत्रक

## एक्सपेट्रिएट एडोप्शन

एक्सपेट्रिएट एडोप्शन बच्चा गोद लेने की ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें 12 महीने या उससे अधिक समय से विदेश में रहने वाला कोई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी, किसी विदेशी एजेंसी या सरकारी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के तहत बच्चे को गोद लेता है। एक्सपेट्रिएट एडोप्शन के लिए ऑस्ट्रेलियाई एडोप्शन प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं होते हैं, और वे इस प्रकार के एडोप्शन के आवेदकों का आकलन या अनुमोदन भी नहीं करते हैं।

*ध्यान दें:* एक्सपेट्रिएट एडोप्शन को कुछ देशों में नेशनल एडोप्शन के नाम से भी जाना जा सकता है।

**यदि कोई आस्ट्रेलियाई व्यक्ति किसी अन्य देश से आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों की भागीदारी के बिना बच्चे को गोद लेता है, तो उस बच्चे को आस्ट्रेलिया में गोद लिए जाने के लिए स्वत: मान्यता नहीं मिलती है।**

**यह संभव है कि बच्चा ऑस्ट्रेलिया में आने और रहने के लिए इमीग्रेशन आवश्यकताओं को पूरा न कर पाए।**

### एक्सपेट्रिएट एडोप्शन में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी

एक्सपेट्रिएट एडोप्शन के मामलों में ऑस्ट्रेलिया सरकार की भागीदारी केवल यह तय करने तक ही सीमित है कि क्या वह बच्चा एडोप्शन वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में आने और रहने के लिए आव्रजन आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।

ऑस्ट्रेलिया सरकार कोई भी ऐसे दस्तावेज जैसे कि समर्थन पत्र, अनापत्ति पत्र (Letter of No Objection, LNO) या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) उपलब्ध नहीं कराती है, जिनके माध्यम से एडोप्शन करने वाले विदेशों में रह रहे ऑस्ट्रेलियाई प्रवासियों के आवेदनों का समर्थन या अनुमोदन किया जाता हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रकार के विदेशी एडोप्शन के मामले ऑस्ट्रेलिया के अनुमोदित इंटरकेंट्री एडोप्शन कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी किसी दूसरे देश में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों का आकलन करने और ऑस्ट्रेलियाई कानून के अनुसार किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रवासी की एडोप्शन योग्यता को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं।

इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई दूतावास या अधिकारी किसी भी ऐसे दस्तावेज को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर और किसी अन्य देश में घरेलू या निजी एडोप्शन के उद्देश्य के लिए होते हैं। इसमें वैधानिक घोषणाएँ और शपथपत्र शामिल हैं।

### आपके राज्य या टेरिटरी के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित न किए गए **एडोप्शन** में शामिल जोखिम

- एक्सपेट्रिएट एडोप्शन में स्वाभाविक रूप से अधिक जोखिम शामिल होता है, इसमें अवैध या गैर-कानूनी तरीकों के साथ में पुरानी अनुचित एडोप्शन प्रथाओं का उपयोग किए जाने का जोखिम भी शामिल होता है।
- एक्सपेट्रिएट एडोप्शन के मामलों में प्राथमिक रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हितों के बारे में विचार नहीं किया जाता है।
- उचित सहमति प्राप्त करना, बच्चे को गोद लिए जाने की योग्यता का आकलन करना, और बच्चे के मिलान की प्रक्रिया का पालन स्थाई मानकों के अनुसार नहीं किया जाता है और इनकी निगरानी भी नहीं की जाती है।
- गोद लेने वाले भावी माता-पिता की योग्यता का आकलन स्थाई मानकों के अनुसार नहीं किया जाता है और इसकी निगरानी भी नहीं की जाती है।
- ऐसा हो सकता है कि प्रस्तावित बाल स्थानन (प्लेसमेंट) के आकलन में सहायकता सिद्धांत को सही ढंग से लागू न किया गया हो या बच्चे के सर्वोत्तम हित में निकटस्थ या भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा-पार प्रभावों पर विचार नहीं किया गया हो।

इसके अलावा, ऐसी चिंताएँ भी दर्शाई गई हैं कि गोद लेने वाले माता-पिता अपेक्षित प्रशिक्षण, शिक्षा और आकलन प्रक्रियाएँ पूरी नहीं करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें किसी अन्य देश से गोद लिए गए बच्चे की जटिल और बदलती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायता सेवाओं की पहुँच हासिल न हो या इनके बारे में जानकारी प्राप्त न हो।

विदेशों में एक्सपेट्रिएट एडोप्शन की प्रक्रिया से गुजरने वाले कुछ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने स्वयं को कठिन स्थिति में पाया हैं। इस प्रकार की एडोप्शन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, गोद लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई माता-पिता अपने बच्चे को कानूनी रूप से ऑस्ट्रेलिया लाने में असमर्थ हो सकते हैं। इन स्थितियों के कारण, माता-पिता और बच्चे को कई प्रकार की दीर्घकालिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

### कानूनी सलाह प्राप्त करना

यदि बच्चे को किसी अन्य देश में (ऑस्ट्रेलिया से बाहर), वहाँ के कानून के तहत वैधानिक रूप से गोद लिया गया है, तो इससे एडोप्शन वीज़ा (सबक्लास 102) की आवश्यकताओं के पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है।

एक्सपेट्रिएट एडोप्शन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, ऑस्ट्रेलिया और बच्चे के सामान्य निवास देश, इन दोनों स्थानों से स्वतंत्र कानूनी सलाह प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

### और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए

- Smartraveller विदेशों से इंटरकंट्री एडोप्शन या एक्सपेट्रिएट एडोप्शन के माध्यम से बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखने वाले आस्ट्रेलियाई लोगों के लिए जानकारी प्रदान करता है। Smartraveller में ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध किया गया है और गोद लेने वाले भावी माता-पिता के लिए बच्चे को गोद लेने हेतु विदेश जाने से पूर्व के सुझाव प्रदान किए गए हैं।
- इंटरकंट्री एडोप्शन ऑस्ट्रेलिया (IAA) इंटरकंट्री एडोप्शन प्रक्रिया के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। IAA के पास विदेशों से बच्चों को गोद लेने के बारे में सोच-विचार कर रहे आस्ट्रेलियाई लोगों की सहायता के लिए अनेक संसाधन और सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- इंटरकंट्री एडोप्शन पर हेग कन्वेंशन के बारे में जानकारी।